

दिनांक/Dated: 22.01.2026

अधिसूचना / Notification - 44

गजट अधिसूचना संख्या 693, दिनांक 28.10.2025 (केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020); मुख्यालय की अधिसूचना संख्या F.No. 27024/2022-Admn./MAR-CSU/Pt.2, दिनांक 02.01.2026; केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) के आलोक में लखनऊ परिसर के समस्त सेवारत नियमित कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि चिकित्सा सुविधाओं के लाभ हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाओं को पूर्ण करना अनिवार्य है। अतः सभी सेवारत कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 जनवरी, 2026 तक परिसर कार्यालय में श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव के पाल निम्नलिखित फॉर्म जमा करना सुनिश्चित करें।

1. Form-1: चिकित्सा सुविधा हेतु विकल्प फॉर्म,
2. Form-2: चिकित्सा पहचान पत्र (Medical ID Card) हेतु आवेदन,
3. Form-8: परिवार घोषणा पत्र (आश्रितों हेतु आय सीमा रु.9000/- + महंगाई राहत से कम होनी चाहिए),
4. Form-9: यदि पति/पत्नी अन्य संस्था में कार्यरत होने के कारण सुविधा नहीं लेनी है (ऑफ्ट-आउट)

फरवरी 2026 से वेतन से पद के स्तर के अनुसार निम्नलिखित मासिक अंशदान (Contribution) कटौती प्रारम्भ होगी:

(स्तर 1-5: रु.250/-, स्तर 6: रु.450/-, स्तर 7-11: रु.650/-, स्तर 12+: रु.1000/-; गजट अधिसूचना पैरा 3)।

नोट:- सभी सम्बन्धित फॉर्म और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) विश्वविद्यालय की वेबसाइट: <https://www.sanskrit.nic.in/medical.php> से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

(प्रो. सर्वनारायण झा/Prof. Sarva Narayan Jha)
निदेशक / Director

प्रतिलिपि-

1. कार्यालय आदेश सञ्चिका
2. सम्बद्ध सञ्चिका
3. अनुभाग अधिकारी
4. श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव, LDC (Ad hoc)
5. आईक्यूएसी समन्वयक प्रति श्री प्रवीण कुमार, डीईओ
6. प्रो. गुरुचरण सिंह नेगी, सह-निदेशक
7. वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु श्री मुकुल कुमार मिश्र, तकनीकी सहायक
8. निदेशक कार्यालय प्रति श्री चन्दन श्रीवास्तव, डीईओ

निदेशक / Director